

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, आजमगढ़।
प्रेस-विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक संख्या-2389/एसएलएसए-83/2025 (संदीप/आरआई) दिनांकित जुलाई 30, 2025 के द्वारा मध्यस्थता की व्यवस्था सुदृढ़ बनाये जाने व न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकार केवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, आजमगढ़ में संचालित मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ का एक पैनल तैयार/चयन करना है, जिसके लिए निम्न अर्हता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति/अधिवक्ता/सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अन्तिम तिथि 04.08.2025 नियत है।

1. ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
3. ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

उक्त अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित होने हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, आजमगढ़ में दिनांक 04.08.2025 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त सूचना/आवेदन का प्रारूप इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाइट-<https://www.allahabadhighcourt.in/> या जिला न्यायालय आजमगढ़ के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

दिनांक- 01.08.2025

(अंकित वर्मा) 01.08.25
सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय, आजमगढ़।

प्रतिलिपि:

- 1.ओ०एस०डी० कम्प्यूटर, रजिस्ट्रार (J) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने की कृपा करें।
- ✓ 2.नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने की कृपा करें।
- 3.प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, दीवानी न्यायालय, आजमगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना जिला न्यायालय, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 4.जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० आजमगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना जनपद आजमगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने का कष्ट करें।
- 5.सूचना जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को प्रेषित है, कि उक्त सूचना स्थानीय परिचालन वाले समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुए पेपर की कटिंग इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- 6.प्रभारी अधिकारी नजारत, कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना कलेक्ट्रेट आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 7.अध्यक्ष/मंत्री, जनपद बार एसोसिएशन आजमगढ़, सिविल बार एसोसिएशन, आजमगढ़, को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना जनपद बार एसोसिएशन आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
8. नोटिस बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ पर चस्पा की जाय।

सचिव 01.08.25

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय, आजमगढ़।

अनुसूची-एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला आजमगढ़)
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम
2. पति का नाम
3. पता :
(क)-कार्यालय
(ख)-निवास
4. दूरभाष संख्या :
(क) कार्यालय :
(ख) निवास :
5. मोबाईल नम्बर संख्या
(क) कार्यालय :
(ख) निवास :
6. ई-मेल आईडी :
7. शैक्षिक अर्हताएं :
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव :
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो :
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो :
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक :
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है ?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है या विकृतचित का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?

आवेदक नवीनतम साईज लगायें।	अपना पासपोर्ट फोटो
------------------------------------	--------------------------

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं..... एतद्वारा निवेदन करता/करती हूँ कि मैं न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ। यह आश्वासन देता/देती हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूँगा/करूँगी। मैं, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन देता/देती हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक.....

स्थान.....

पूर्ण हस्ताक्षर

नोट:-1. आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक पहचान पत्र/आधार कार्ड व पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं जिला बार काउन्सिल के परिचय पत्र की स्वः प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करें।